सम्मन/वारन्टों की तामील, स्थाई वारन्ट, तलाशी वारन्ट रजिस्टर का संधारण, कोर्ट मुंशी के कर्त्तव्य

Content

Time: 90 min

1. सम्मन/वारन्टों की तामील के सम्बन्ध में– परिपत्र 3435–3512 दिनांक–11.02.2019
2. स्थायी वारंट व तलाशी वारंट के रजिस्टर संधारण बाबत– परिपत्र 2848–908 दिनांक–27.02.2019
3. 10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई– क्रमांक 208–67 दिनांक 11.01.2019
4. कोर्ट मुंशी के कर्त्तव्य– स्थाई आदेश 02/2019, क्रमांक 2503–80 दिनांक– 01.02.2019

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक : CID/CB/PRC/ परिपत्र/ 2019/ 3435-3512 दिनांक :– 11.02.2019

परिपत्र

विषयः– सम्मन/वारन्टों की तामील के सम्बन्ध में।

न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/वारन्टों को बाद तामील या अदम तामील संबंधित न्यायालय में समय पर पेश करना पुलिस अधिकारियों का कानूनी कर्त्तव्य है। पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर सम्मन/वारन्टों को बाद तामील या अदम तामील प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालयों द्वारा गम्भीर श्रेणी के अपराधों में भी साक्ष्य बन्द कर दी जाती है, जिससे प्रकरणों के निस्तारण में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक अवसरों पर विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारन्ट समय पर बाद तामील/अदम तामील न्यायालयों में नहीं भेजे जाते हैं जिसके फलस्वरूप थानाधिकारियों को न्यायालय से अनावश्यक कारण बताओ नोटिस मिलते हैं तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर क्षमा याचना करनी पड़ती है, कई बार पुलिस मुख्यालय पर भी अर्द्धशासकीय पत्र प्राप्त होते है।

इस संबंध में पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या व–15 (1) (6) सीआईडी/सीबी/विधि/95/2542–2611 दिनांक 19.04.1995, समसंख्यक पत्र क्रमांक 565–635 दिनांक 20.01.1998, र–9 (ख) (1) 59 सीआईडी/सीबी/विधि/99/ 602–44 दिनांक 15.02.1999, सीआईडी/सीबी/विधि/99/सम्मन–वारन्ट/2001/ 4622–69 दिनांक 21.07.2001 तथा परिपत्र संख्या 1/2002 दिनांक 05.03.2002 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के व्यतिक्रमण में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रत्येक थाने पर हैड मोहर्रिर द्वारा **तारीख पेशी वार** सम्मन–वारन्ट पंजिका संलग्न **प्रारूप संख्या–1** में संधारित की जाए ताकि पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले सम्मन/वारन्ट तारीख पेशी से पूर्व अदम/बाद तामील न्यायालय में प्रेषित किए जाने में कोई लापरवाही ना हो। **(प्रारूप संख्या–1)**
2. बीट कानि. की अपनी बीट के सम्मन, जमानती वारन्ट, स्थाई वारन्ट, भगौडे, घोषित अपराधी, वसूली वारन्ट की तामील करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बीट कानि. भी **तारीख पेशी वार** सम्मन/वारन्ट पंजिका का संधारण करेगा जिसका प्रारूप संलग्न है। **(प्रपत्र संख्या 2)**
3. पुलिस थाने पर प्राप्त प्रत्येक सम्मन/जमानती वारन्ट/गिरफ्तारी वारन्ट/वसूली वारन्ट/स्थाई वारन्ट/धारा 138 N.I. Act. के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस का विवरण राजस्थान पुलिस के वेब पोर्टल police.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाए।
4. सम्मन/जमानती वारन्ट/गिरफ्तारी वारन्ट/वसूली वारन्ट/स्थाई वारन्ट की तामील सर्वप्रथम संबंधित बीट कानि. को सुपुर्द की जाएगी तथा उसे तामील हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। इस एक सप्ताह की अवधि में अदम तामील रहने की स्थिति में बीट कानि. अदम तामील रहने के कारण सहित मूल सम्मन/वारन्ट बीट प्रभारी के सम्मुख लिखित में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात बीट प्रभारी द्वारा उक्त सम्मन/वारन्ट की तामील कार्रवाई की जाए। बीट प्रभारी को भी उक्त अदम तामील रहे सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। **(यदि तारीख पेशी में समयावधि शेष हो तो)**

   यदि बीट प्रभारी भी तामील नहीं करा पाता है तो वह एक सप्ताह की अवधि के उपरान्त मूल सम्मन/वारन्ट अदम तामील रहने के कारण सहित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। **यदि तारीख पेशी में अवधि शेष हो तो** उसके पश्चात थानाधिकारी उक्त